

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य
(जनवरी, 2025 और जुलाई 2025)

- बी.एल.ई.-001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय
- बी.एल.ई.-002 : कानून का परिचय
- बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह
- बी.एल.ई.-004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन



विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

सत्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 सितम्बर, 2025

जुलाई के लिए 30 मार्च, 2026 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

- 1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- 2) **आयोजन** : अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

- क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
- ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
- ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

- 3) **प्रस्तुतिकरण** : एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

बी.एल.ई.पी.-001 : परियोजना कार्य (Project Work)

प्रिय विद्यार्थी,

इस पाठ्यक्रम में आपको नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 4000 शब्दों में एक परियोजना (Project) लिखनी है और इसे अपने अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र में जमा कराना है। परियोजना लिखने से पहले आप अध्ययन सामग्री के साथ भेजी गई परियोजना दर्शिका बी.एल.ई.पी.-001 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृपया निम्नलिखित पैराग्राफों को भी ध्यान से पढ़िए।

इस परियोजना को लिखने से पहले हमारा आपको सुझाव है कि आप निकटतम विधि पुस्तकालय (Law Library) में जाएँ। आप लॉ कालेजों, बार एसोसिएशनों आदि के पुस्तकालयों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे वकीलों के पास भी ऐसे पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में आपको अधिनियम, व्याख्याएँ (commentaries), डायजेस्ट जर्नल (पत्र-पत्रिकाएँ) आदि मिलेंगे। महत्वपूर्ण जर्नल हैं—आल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेज (SCC) आदि। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन जर्नल भी हैं जैसे मनुपत्र आदि। अनेक वेबसाइट भी उपलब्ध हैं जैसे indiacode.nic.in जिसमें आपको संसद के सभी अधिनियम मिल सकते हैं।

जर्नलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूरे निर्णय हैं, निर्णय के आरंभ में दी गई मुख्य टिप्पणियों के आधार पर, आप अपनी परियोजना की विषयवस्तु (theme) के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। इसके बाद इन चुने हुए निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें पढ़ते हुए, उन तथ्यों तथा तर्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए जिन पर ये निर्णय आधारित हैं। परियोजना में हम आपसे निर्णयों का मूल विश्वलेषण प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

परियोजना के लिए विषय

1. भारत में कानूनी सहायता तंत्र
2. भोजन का अधिकार
3. बालश्रम की समस्या एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय
4. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
5. असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकार
6. भारतीय कानूनों में बिकलांग व्यक्तियों के अधिकार

किसी भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, अपने अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता अथवा कार्यक्रम संचालक (Programme Coordinator) से निस्संकोच संपर्क कीजिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक